

प्रकरण संख्या :- 180/2025  
जीसीएमएस नं. -2025/180

दायर दिनांक :- 2.11.2025  
निर्णय दिनांक :- 2.11.2025

“ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर में स्थित व कार्यरत हैं।

(प्रार्थी)

वनाम्

1. श्री हमिर सिंह राठौड पिता धुलसिंह राठौड, निवासी-ग्राम वसुन्दर छोटी, ग्राम पंचायत-टोंक वासा, पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर
2. श्रीमति पैपु कुंवर पत्नि श्री हमिर सिंह राठौड, निवासी- निवासी-ग्राम वसुन्दर छोटी, ग्राम पंचायत-टोंक वासा, पंचायत समिति आसपुर जिला डूंगरपुर


(अप्रार्थीगण)



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

-:: आदेश ::-

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, ने अप्रार्थी को दिनांक 29.08.2023 को रु.5,00,000/- अक्षरे पांच लाख रुपये ऋण सुविधा नगद उधार ऋण के रूप में दी थी। जिसके पुर्नभुगतान हेतु प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, ने अप्रार्थी की सम्पति रहन रखी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-पट्टा नं. 54, संकल्प संख्या-02, दिनांक 02.05.2018 ग्राम-वसुन्दर छोटी, ग्राम पंचायत टोंक वासा, पंचायत समिति-आसपुर जिला डूंगरपुर में स्थित आवासीय प्लॉट जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो भी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 629 वर्गफिट हैं, जिसके सम्बन्धित दस्तावेज जिसके पूर्व में स्वयं का आंगन व रास्ता, पश्चिम में रूपसिंह/खुमान सिंह का मकान, उत्तर में किशोर सिंह/शिव सिंह का मकान, दक्षिण में किशोर सिंह/धुल सिंह का मकान स्थित हैं उक्त सम्पति को ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, के पास रहन किया हैं। अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त खाता दिनांक 08.06.2025 को डिफाल्टर (एन.पी.ए) घोषित किया गया। कुल बकाया रूपये 4,34,525/- दिनांक 10.06.2025 तक व दिनांक 10.06.2025 के आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे बकाया निकलते है। उक्त ऋण खाता दिनांक 08.06.2025 को डिफाल्टर घोषित होने से ऋणी को दिनांक 19.06.2025 को नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व न ही बन्धकशुदा सम्पति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को दिया गया। प्रार्थी अप्रार्थी से जब तक सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता तब तक बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं। प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, नें उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी को सभलवाने के लिये प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

  
जिला कलक्टर  
डूंगरपुर

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अविंक्त तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया की अप्रार्थी ने उसके खाते में देय राशि गय ब्याज के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, के पास उक्त रखी सम्पत्ति का अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कब्जा प्रार्थी को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश जारी करने की मांग की। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं है और उन्हें नियमानुसार सुने जाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहा से कोई न्यायिक निर्णय नहीं किया जाना है।

मेने वकील प्रार्थी के बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी की सम्पत्ति को ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, के पास रहन रखकर दिनांक 29.08.2023 को रूपया 5,00,000/- ऋण प्राप्त किया गया था। अप्रार्थी ने उक्त ऋण भुगतान नहीं चुकाया जिसकी वजह से उक्त दिनांक 08.06.2025 को डिफाल्टर घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी के ऋण खाते में रूपया 4,34,525/- रूपये दिनांक 10.06.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे वकाला निकलते है। उक्त ऋण का खाता डिफाल्टर घोषित होने के कारण इस एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, ने ऋणी (अप्रार्थी) को दिनांक 19.06.2025 को नोटिस प्रेषित किया, जिसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई व न ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को दिया गया। अप्रार्थी द्वारा ऋण की सुरक्षा के एवज में बंधक के रूप में रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को दिलवाया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा ऋणी से नियमित रूप से राशि जमा करवाने हेतु प्रयास किये गये तथा डिफाल्टर घोषित कर सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत ऋणी को नोटिस जारी किया गया, किन्तु ऋणी द्वारा बावजूद नोटिस के अपेक्षित राशि जमा नहीं कराई गई। दी सिक्क्यूरीटाइजेशन एण्ड रिकंन्शट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल ऐसिट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14(2) की प्रदत्त शक्तियों के तहत ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, कि प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को बन्धक रखी सम्पत्ति पट्टा नं. 54, संकल्प संख्या-02, दिनांक 02.05.2018 ग्राम-वसुन्दर छोटी, ग्राम पंचायत टोंक वासा, पंचायत समिति-आसपुर जिला डूंगरपुर में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 629 वर्गफिट हैं। जिसको अप्रार्थी से प्राप्त करने जरिये पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर प्रार्थी " ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को सम्भलाये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, को आदेशित किया जाता है कि वह निर्णय की प्रति विपक्षी ऋणी को उपलब्ध कराने की तिथि से 30 दिवस की अवधि तक अपेक्षित राशि जमा कराने का अवसर दिया जावे। विपक्षीगण ऋणी द्वारा यदि 30 दिवस में भी अपेक्षित राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में उक्त आदेश की क्रियान्विति की जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर को अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती हैं।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर आदेश आज दिनांक 26/05 को सुनाया जाकर पत्रावली फैसल में शुमार हो।

(अंकित कुमार सिंह)  
जिला कलक्टर,  
डूंगरपुर

